<u>अति तत्काल</u>

संख्या एस-18020/124/2016-एसबीएम
भरत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभाग,

12वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 09.01.2017

सेवा मे,

मुख्य सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(मेल-फैक्स द्वारा)

विषय: स्वच्छ भारत मिशन अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों कूड़ेदानों/गंदे स्थानों पर महात्मा गांधी अथवा उनसे संबंधित वस्तुओं (चश्मा, चरखा, लाठी, घड़ी आदि) के स्केच/फोटुएँ/तस्वीरें/**लोगो** का उपयोग न करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों, कूड़ेदानों/गंदे स्थानों पर महात्मा गांधी अथवा उनसे संबंधित वस्तुओं (चश्मा, चरखा, लाठी, घड़ी आदि) के स्केच/फोटुएँ/तस्वीर/**लोगो** का उपयोग न करने के संबंध में बदरुद्दीन कुरैशी बनाम भारत संघ तथा अन्य द्वारा छतीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 117/2016 दायर की गई थी। यद्यपि, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.12.2016 के आदेश द्वारा इस रिट याचिका को निष्फल मानकर खारिज कर दिया लेकिन माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने भारत संघ के संबंध में यह बताते हुए आगे कहा है कि हम यह महसूस ही नहीं करते कि ऐसा करना उल्लंघन है और हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है। लेकिन साथ-साथ हमें लगता है भारत संघ को उत्तर देना चाहिए और शपथपत्र पर आश्वस्त करना चाहिए कि जहां कहीं भी महात्मा गांधी से जुड़ा कोई चिह्न प्रयोग में लाया जाता है तो इसे इस प्रकार उपयोग में लाया जाना चाहिए अथवा रखा जाना चाहिए कि यह आसानी से खराब होने वाले स्थान पर न चिपकाया जाए और इस प्रकार से उपयोग में न लाया जाए कि जिससे राष्ट्रपिता का अपमान हो।

2. स्वच्छता राज्य का विषय है इसलिए राज्यों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के दौरान **लोगो** अर्थात् ऑप्टिकल का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया है। इस मंत्रालय के दिनांक 5 दिसंबर, 2014 के पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से अनुरोध किया गया था कि

स्वच्छ भारत मिशन का लोगो सभी सरकारी स्टेशनरी पर सभी सरकारी भवनों के गलियारों और महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टरों/वॉल हैंगिंग्स पर प्रदर्शित किया जाए ताकि संदेश का प्रसार प्रभावी ढंग से हो सके। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अनुरोध किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों, कूड़ेदानों/गंदे स्थानों पर महात्मा गांधी अथवा उनसे संबंधित वस्तुओं के स्केच/फोटुएँ/तस्वीर/लोगो का उपयोग नहीं किया जाए ताकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी व्यक्ति की भावना को ठेस न पहुँचे। इस संबंध में सभी जिलों/संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं।

भवदीय

Sd/-

(युगल किशोर जोशी)

निदेशक (एसबीएम)

प्रतिलिपि प्रेषित :

राज्य समन्वयक एसबीएम (जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

1. तकनीकी निदेशक, एनआईसी-मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. शहरी विकास मंत्रालय, (ध्यानाकर्षण श्री प्रवीण प्रकाश) संयुक्त सचिव (एसबीएम), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
3. श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, अधिवक्ता, असिस्टेंट सॉलीसिटर जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 24, विवेकानन्द नगर, रायपुर